भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1887

19.12.2022 को उत्तर के लिए

एनसीएपी

1887. श्री अब्दुल खालेक :
डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण भागों में वायु प्रदूषण के स्तर का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने बायोमास जलाने जैसे वायु प्रदूषण के ग्रामीण स्रोतों के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को मापने के लिए कोई निगरानी तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार एनसीएपी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने का विचार रखती है और यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित समय-सीमा और बजट सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) वायु प्रदूषण के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के बावजूद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इसके हितधारक के रूप में बाहर करने के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को एनसीएपी के अंतर्गत हितधारक के रूप में शामिल करने की योजना है और यदि हां, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपी जाने वाली भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क), (ख), (ग), (घ) (ड.) और (च)

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) के अंतर्गत 26 ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। इन 26 ग्रामीण क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता की स्थिति अनुबंध-I में दी गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उसमें कमी लाने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति है। वर्तमान में, एनसीएपी के तहत 131 शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें निरंतर पांच वर्षों से वायु गुणवत्ता संबंधी राष्ट्रीय मानकों को पूरा न करने वाले 123 शहर शामिल हैं। एनसीएपी कार्यनीति दस्तावेज में एनसीएपी उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित कार्रवाई योग्य बिंदु निर्धारित हैं। इन कार्रवाइयों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

वर्ष 2020 के दौरान 26 ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की स्थिति का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	ग्राम	ज़िला	वार्षिक औसत µg/m3 में		
					सीओ$_2$	एनओ$_2$	पीएम$_{10}$
1.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1.	बलदेवी (दादरा और नगर हवेली)	दादरा और नगर हवेली	12	17	70
		2.	पटलारा (दमन)	दमन	12	18	71
2.	पंजाब	3.	अलीगढ़ (जगराओ)	लुधियाना	8	16	76
		4.	असपल खुर्द (तप)	बरनाला	7	19	106
		5.	बड़ा पिंड (गोराया)	जलंधर	7	17	87
		6.	बिनजोन (गर्शंकर)	होशियारपुर	6	15	81
		7.	बिशनपुरा (पायल)	लुधियाना	8	20	137
		8.	चंगल-मस्तुआना साहिब (संगरूर)	संगरूर	6	16	99
		9.	चौकीमान (जगराओं)	लुधियाना	7	16	182
		10.	फतेहपुर (समाना)	पटियाला	6	17	91
		11.	गुरु की ढाब (कोटकपुरा)	फरीदकोट	4	1 1	91
		12.	जैतो सरजा (बटाला)	गुरदासपुर	6	14	70
		13.	खरौरी (सरहिंद)	फतेहगढ़ साहिब	6	19	92
		14.	कोटलादूम (अजनाला)	अमृतसर	8	15	111
		15.	लाखो के बेहराम (फ़िरोज़पुर)	फिरोजपुर	4	15	91
		16.	मरार कलां (मुक्तसर)	मुक्तसर	-	-	-
		17.	मुकंदपुर (नवाशहर)	शहीद भगत सिंह नगर	7	18	104
		18.	मुरीदके (बटाला)	गुरदासपुर	6	16	85
		19.	नौधरानी (मलेरकोटला)	संगरूर	5	17	95
		20.	पीर मोहम्मद (जलालाबाद)	फाजिल्का	4	1 1	85
		21.	पूहली (भटिंडा)	भटिंडा	-	-	--
		22.	किला भरियां (संगरूर)	संगरूर	5	16	94
		23.	रखरा (पटियाला)	पटियाला	6	18	90
		24.	रोहिला (समराला)	लुधियाना	8	17	119
		25.	सुबनपुर (ढिलवां)	जलंधर			
		26.	तीरथपुर (अमृतसर I-UTI)	अमृतसर	8	18	128

अनुबंध-II

एनसीएपी के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए कार्रवाई हेतु बिंदु

i. राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य स्थिति संबंधी अध्ययन।

ii. प्रतिक्रिया अध्ययन और समूह अध्ययन कार्यक्रम।

iii. निर्णय लेने में सहायता के लिए एक नियमित स्वास्थ्य स्थिति या डेटाबेस सुनिश्चित करना।

iv. स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों के मासिक विश्लेषण में दैनिक एक्यूआई, PM2.5 और PM10 माप (24 घंटे की औसत के आधार पर); मौसम-विज्ञान संबंधी मानदंड; दिल का दौरा पड़ने से मौत, स्ट्रोक आना, मौजूदा श्वसन रोगों के कारण सांस में रुकावट, यदि सभी शहरों के संबंध में उपलब्ध हो तो फेफड़ों के कैंसर में रुझान शामिल हैं।

v. सूचना के व्यापक प्रसार के लिए जागरूकता और उन्मुखीकरण कार्यशालाएं।

vi. महामारी विज्ञान, विष विज्ञान और जैव सांख्यिकी संबंधी कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से अध्ययन संबंधी रूपरेखा में शोधकर्ताओं को प्रशिक्षण देना।

vii. वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव संबंधी अध्ययन।

*****